न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 50/2026(GCMS : 2026/106)

पीरामल फाईनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम.रोड़ फार्ट, मुम्बई– 400001 तथा **शाखा कार्यालय** 320/5 तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड़, जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री पुनीत बोहरा

बनाम

1. **निखिल जोशी** पुत्र श्री राजकुमार जोशी निवासी 15 डी ब्लॉक, वार्ड नं. 13, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **ऑफिस पता** लियो हाउस शहीद भगत सिंह नागर, डूगरी धंडा रोड़, जोसेफ स्कूल के पास, लुधियाना, पंजाब **सम्पत्ति पता** प्लॉट नं. 38, ग्राउण्ड फ्लोर (ईडब्ल्यूएस), रिद्धी सिद्धी आंगन एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर राजस्थान
2. **पुष्पा** पत्नी श्री राजकुमार जोशी पता 15 डी ब्लॉक, वार्ड नं. 13, श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.04.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये संयुक्त अधिवक्ता श्री हरवीर सिंह बराड़ एवं जसलीन कौर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण निखिल जोशी एवं पुष्पा को ऋण सुविधा के रूप में 6.46/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 11.01.2018 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के ऋण खाते में दिनांक 15.03.2025 को 2,76,197/– रूपये की ऋण राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी पुष्पा एवं निखिल जोशी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 38, ग्राउण्ड फ्लोर (ईडब्ल्यूएस) रिद्धी सिद्धी आंगन एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 साथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी निखिल एवं पुष्पा को ऋण सुविधा के रूप में 6.46/– लाख रूपये (अखरे रूपये छः लाख छियालीस हजार मात्र) **की स्वीकृति दिनांक 11.01.2018 को प्रदान की गई थी और** ऋण

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी पुष्पा एवं निखिल जोशी ने अपनी अचल **सम्पत्ति प्लॉट नं. 38, ग्राउण्ड फ्लोर (ईडब्ल्यूएस) रिद्धी सिद्धी आंगन एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 10.03.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की विधिक तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी पुष्पा एवं निखिल जोशी की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 38, ग्राउण्ड फ्लोर (ईडब्ल्यूएस) रिद्धी सिद्धी आंगन एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 24.03.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 24.03.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.04.2025 को भिजवा**[illegible] **जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है।** धारा 13(2) [illegible] **ऑफिस ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में** [illegible] **अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है,** इसके अतिरि[illegible] प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों प्रातः काल एवं इण्डियन एक्सप्रैस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

	दिनांक 23.04.2025 को प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **पुष्पा एवं निखिल जोशी** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा। **अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पीरामल फाईनेंस लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी पुष्पा एवं निखिल जोशी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 38, ग्राउण्ड फ्लोर (ईडब्ल्यूएस) रिद्धी सिद्धी आंगन एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो। **यह आदेश आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** Signature Not Verified Digitally signed by Amit Yadav Date: 2026.05.07 16:43:49 IST Reason: SelfAttested (अमित यादव) मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर